



Office of
EXECUTIVE ENGINEER, SUNDER NAGAR DIVISION
Himachal Pradesh Public Works Department Sunder Nagar
Ph. 01907-266245, Fax: 266845, E-mail ee-sun-hp@nic.in

No.PW-SNR-WA.R-27(Dharli)/2024/-4592-94
To

Dated :- 08-08-2024

✓ The Deputy Conservator of Forests,
Suket Forest Division,
Sundernagar Distt. Mandi (H.P)

Subject:- Diversion of 10.6019 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of Dharli to Balag road (Kms. 0/00 to 18/900), within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi HP.(Online Proposal No. FP/HP/Road/19449/2020).

Reference:- The Nodal Officer-cum-APCCF (FCA) O/o Pr.CCF, H.P, Shimla-1 office letter No. No.Ft.48-3971/2019 (FCA) dated 22.04.2024.

Sir,


Please refer to the Nodal Officer-cum-APCCF (FCA) O/o Pr.CCF, H.P, Shimla-1 office letter dated 22.04.2024. cited above on the captioned subject vide which some observation has been raised on the proposal submitted for the approval of Ministry of Environment and Forest. The reply of attended observation is as under:-

it is submitted that the said road or path has been constructed by the unintentionally local habitants before the year 1980. There used to be a traditional old path and mule path, which people were using for conveyance for a long time. the path/road used to deteriorate during the rainy season, which affected the conveyance of people. Due to these circumstances the local villagers started widening and defacing the path to facilitate their conveyance. The construction work been done unintentionally by unknown local people of the area. Because the status of the land in the site of the path/road was not clear as some land is private and some is Gair Mumkin Gohar.

But now after getting administrative and financial approval from the competent authority of the Public Works Department for the construction of Dharli to Balag road, to regularize the proposed road the forest diversion case was processed. Accordingly, after proper demarcation of the land, on verification of Revenue Muhal Dharli and Balag, it was found that it falls in the category of Government land / forest land, whose status is chargah darkhtaan, gair mumkin gohar, chargah bila darkhtaan.

Total violation of forest land was found to be 0.6840 hectares and there is no violation of forest land in the remaining proposed road. Since the violation of FCA, 1980 was done unintentionally by unknown persons of the area, it is requested to take up the matter for diversion of the above forest land under the provisions of Forest (Conservation) Act of 1980. The Affidavits showing the status of road, obtained from the general public are already been given in hard copy and have also been uploaded in the Moef Parivesh portal


DA:- As above.


Executive Engineer,
Sunder Nagar Division,
HP.PWD Sunder Nagar.

Copy of the following for information:

1. The Assistant Engineer Dehar Sub- Division H.P.P.W.D. Dehar.
2. The Forest Consultants, Naresh Kumar R/O Nerchowok Dist. Mandi HP-175008.

R.K./FEA
d
09/08/24


Executive Engineer,
Sunder Nagar Division,
HP.PWD Sunder Nagar.



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Himachal Pradesh

₹20

e-Stamp

₹20 ₹20 ₹20

Certificate No.	: IN-HP20488624433878W
Certificate Issued Date	: 26-Jul-2024 11:54 AM
Account Reference	: SELFPRINT (PU)/ hp-self/ SUNDER NAGAR/ HP-MN
Unique Doc. Reference	: SUBIN-HPHP-SELF36317311164787W
Purchased by	: KARAN KING
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: STAMP DUTY TO BE SUBMITTED REGARDING ROAD AFFIDAVIT
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: RAM SARAN
Second Party	: NOT APPLICABLE
Stamp Duty Paid By	: RAM SARAN
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 20 (Twenty only)



SELF PRINTED CERTIFICATE TO BE VERIFIED BY THE RECIPIENT AT WWW.SHCILESTAMP.COM

IN-HP20488624433878W

Please write or type below this line



ATTESTED
K.A. Chaudhary
Notary Public
Sunder Nagar

राम सरान



Statutory Mark

ब्यान हल्फी

मैं राम सरन उम्र 70 साल पुत्र श्री आदम निवासी गांव समैला डाकघर सेरीकोठी तहसील निहरी जिला मण्डी हि0प्र0 का स्थाई निवासी हूं। मैं यह निम्न हल्फन ब्यान करता हूँ:-

प्रस्तावित सड़क पर निर्माण कार्य क्षेत्र के स्थानीय अज्ञात लोगों द्वारा अनजाने में किया गया है। क्योंकि सड़क संरक्षण में भूमि की स्थिति स्पष्ट नहीं थी क्योंकि कुछ भूमि निजी है और कुछ गैर मुमकिन गोहर है इसके हिस्से पर आम रास्ता जो कि 1980 से पहले का बना हुआ था। पारंपरिक पुराना रास्ता व खच्चर पथ हुआ करता था, जिसे लोग लंबे समय से आवागमन के लिए उपयोग कर रहे थे। तदनुसार, बरसात के मौसम में रास्ते की स्थिति खराब हो जाती थी, जिससे लोगों का आवागमन प्रभावित होता था। इन परिस्थितियों के चलते स्थानीय ग्रामीणों ने अपने आवागमन को सुगम बनाने के लिए रास्ते को चौड़ा और सुधारना शुरू कर दिया। लेकिन अब धारली से बलग सड़क के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग के सक्षम प्राधिकारी से प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के बाद प्रस्तावित सड़क को नियमित करने के लिए, वन डायवर्जन मामले को संसाधित किया गया ताकि खसरा नम्बर की भूमि का उचित सीमांकन करने के बाद राजस्व मुहाल धारली व बलग की जांच में पाया गया कि यह सरकारी भूमि/वन भूमि की श्रेणी में आती है, जिसका दर्जा चरागाह दरख्तान, गैर मुमकिन गोहर, चरागाह बिला दरख्तान है। वन भूमि में कुल उल्लंघन 0.6840 हेक्टेयर पाया गया और शेष प्रस्तावित सड़क में वन भूमि में कोई उल्लंघन नहीं है। चूंकि एफसीए, 1980 का उल्लंघन क्षेत्र के अज्ञात लोगों द्वारा अनजाने में किया गया था, इसलिए अनुरोध है कि (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत उपरोक्त वन भूमि के डायवर्जन के लिए मामले की कार्यवाई की जाए।

राम सरन
ब्यानकर्ता

मैं उपरोक्त हल्फीया ब्यान करता हूँ कि उपरोक्त कथन मेरे ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सत्य है, इस सम्बन्ध में मैंने कोई भी जानकारी गलत नहीं दी है।

दिनांक 26.07.2024

26 July 2024
ब्यानकर्ता राम सरन
986667703208
श्री आदम
श्री देव
श्री बुद्धा
श्री देव

Sh. Deep Sh. Akshay
Sh. Budla Sh. Senikshay
Sh. Sh. Datta



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL


Government of Himachal Pradesh

₹20

e-Stamp

₹20 ₹20 ₹20 ₹20

Certificate No.	: IN-HP20489402025352W
Certificate Issued Date	: 26-Jul-2024 11:56 AM
Account Reference	: SELFPRINT (PU)/ hp-self/ SUNDER NAGAR/ HP-MN
Unique Doc. Reference	: SUBIN-HPHP-SELF36318531508055W
Purchased by	: KARAN KING
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: STAMP DUTY TO BE SUBMITTED REGARDING ROAD AFFIDAVIT
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: KHUB RAM
Second Party	: NOT APPLICABLE
Stamp Duty Paid By	: KHUB RAM
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 20 (Twenty only)



₹20

SELF PRINTED CERTIFICATE TO BE VERIFIED BY THE RECIPIENT AT WWW.SHCIESTAMP.COM

IN-HP20489402025352W

Please write or type below this line



ATTESTED
K.K. Choudhary
Notary Public
Sunder Nagar

Khub Ram


Statutory Mark

Khub Ram

ब्यान हल्फी

मैं खूब राम उम्र 65 साल पुत्र श्री दूर्गा राम निवासी गांव समैला डाकघर सेरीकोठी तहसील निहरी जिला मण्डी हि0प्र0 का स्थाई निवासी हूं। मैं यह निम्न हल्फन ब्यान करता हूं:-

प्रस्तावित सड़क पर निर्माण कार्य क्षेत्र के स्थानीय अज्ञात लोगों द्वारा अनजाने में किया गया है। क्योंकि सड़क संरेखण में भूमि की स्थिति स्पष्ट नहीं थी क्योंकि कुछ भूमि निजी है और कुछ गैर मुमकिन गोहर है इसके हिस्से पर आम रास्ता जो कि 1980 से पहले का बना हुआ था। पारंपरिक पुराना रास्ता व खच्चर पथ हुआ करता था, जिसे लोग लंबे समय से आवागमन के लिए उपयोग कर रहे थे। तदनुसार, बरसात के मौसम में रास्ते की स्थिति खराब हो जाती थी, जिससे लोगों का आवागमन प्रभावित होता था। इन परिस्थितियों के चलते स्थानीय ग्रामीणों ने अपने आवागमन को सुगम बनाने के लिए रास्ते को चौड़ा और सुधारना शुरू कर दिया। लेकिन अब धारली से बलग सड़क के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग के सक्षम प्राधिकारी से प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के बाद प्रस्तावित सड़क को नियमित करने के लिए, वन डायवर्जन मामले को संसाधित किया गया ताकि खसरा नम्बर की भूमि का उचित सीमांकन करने के बाद राजस्व मुहाल धारली व बलग की जांच में पाया गया कि यह सरकारी भूमि/वन भूमि की श्रेणी में आती है, जिसका दर्जा चरागाह दरख्तान, गैर मुमकिन गोहर, चरागाह बिला दरख्तान है। वन भूमि में कुल उल्लंघन 0.6840 हेक्टेयर पाया गया। प्रस्तावित सड़क में वन भूमि में कोई उल्लंघन नहीं है। चूंकि एफसीए, 1980 का उल्लंघन क्षेत्र के अज्ञात लोगों द्वारा अनजाने में किया गया था, इसलिए अनुरोध है कि (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत उपरोक्त वन भूमि के डायवर्जन के लिए मामले की कार्यवाई की जाए।



Khub Ram

ब्यानकर्ता

मैं उपरोक्त हल्फीया ब्यान करता हूं कि उपरोक्त कथन मेरे ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सत्य है, इस सम्बन्ध में मैंने कोई भी जानकारी गलत नहीं दी है।

294687243006

Khub Ram

ब्यानकर्ता

दिनांक 26.07.2024

Sh. Deep Singh Kesari
H/o Bawala P/O
Serikotli Teh SMC
Distt Mandi Jp

certified that the above
is the affirmation on the
26th July
who was filed by Sh. Khub Ram
who is fully known to
certified at the contents
read & explained to deponent
in correct
Sh. Khub Ram
Durga Ram
Khub Ram

K. K. Chaudhary
Notary Public
Distt Mandi



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL


Government of Himachal Pradesh

₹20

e-Stamp

₹20₹20₹20₹20


Certificate No.	: IN-HP20487745651964W
Certificate Issued Date	: 26-Jul-2024 11:51 AM
Account Reference	: SELFPRINT (PU)/ hp-self/ SUNDER NAGAR/ HP-MN
Unique Doc. Reference	: SUBIN-HPHP-SELF36315376249129W
Purchased by	: KARAN KING
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: STAMP DUTY TO BE SUBMITTED REGARDING ROAD AFFIDAVIT
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: TULSI RAM
Second Party	: NOT APPLICABLE
Stamp Duty Paid By	: TULSI RAM
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 20 (Twenty only)



SELF PRINTED CERTIFICATE TO BE VERIFIED BY THE RECIPIENT AT WWW.SHCILESTAMP.COM

IN-HP20487745651964W

Please write or type below this line



ATTESTED
K.K. Chauthary
Notary Public
Sunder Nagar (H.P.)




Statutory Seal

ब्यान हल्फी

मैं तुलसी राम उम्र 80 साल पुत्र श्री आदम निवासी गांव समैला डाकघर सेरीकोटी तहसील निहरी जिला मण्डी हि0प्र0 का स्थाई निवासी हूं। मैं यह निम्न हल्फन ब्यान करता हूं:-

प्रस्तावित सड़क पर निर्माण कार्य क्षेत्र के स्थानीय अज्ञात लोगों द्वारा अनजाने में किया गया है। क्योंकि सड़क संरेखण में भूमि की स्थिति स्पष्ट नहीं थी क्योंकि कुछ भूमि निजी है और कुछ गैर मुमकिन गोहर है इसके हिस्से पर आम रास्ता जो कि 1980 से पहले का बना हुआ था। पारंपरिक पुराना रास्ता व खच्चर पथ हुआ करता था, जिसे लोग लंबे समय से आवागमन के लिए उपयोग कर रहे थे। तदनुसार, बरसात के मौसम में रास्ते की स्थिति खराब हो जाती थी, जिससे लोगों का आवागमन प्रभावित होता था। इन परिस्थितियों के चलते स्थानीय ग्रामीणों ने अपने आवागमन को सुगम बनाने के लिए रास्ते को चौड़ा और सुधारना शुरू कर दिया। लेकिन अब धारली से बलग सड़क के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग के सक्षम प्राधिकारी से प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के बाद प्रस्तावित सड़क को नियमित करने के लिए, वन डायवर्जन मामले को संसाधित किया गया ताकि खसरा नम्बर की भूमि का उचित सीमांकन करने के बाद राजस्व मुहाल धारली व बलग की जांच में पाया गया कि यह सरकारी भूमि/वन भूमि की श्रेणी में आती है, जिसका दर्जा चरागाह दरख्तान, गैर मुक्ति गोहर, चरागाह बिला दरख्तान है। वन भूमि में कुल उल्लंघन 0.6840 हेक्टेयर पाया गया और शेष प्रस्तावित सड़क में वन भूमि में कोई उल्लंघन नहीं है। चूंकि एफसीए, 1980 का उल्लंघन क्षेत्र के अज्ञात लोगों द्वारा अनजाने में किया गया था, इसलिए अनुरोध है कि (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत उपरोक्त वन भूमि के डायवर्जन के लिए मामले की कार्यवाई की जाए।




ब्यानकर्ता

मैं उपरोक्त हल्फीया ब्यान करता हूं कि उपरोक्त कथन मेरे ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सत्य है, इस सम्बन्ध में मैंने कोई भी जानकारी गलत नहीं दी है।


ब्यानकर्ता -339210529499

दिनांक 26.07.2024

IDENTIFIED


श्री Deep श्री R. Keshav
श्री R. Keshav श्री R. Senkato
श्री R. Senkato, श्री R. Senkato
RKB

certified that the above was
the affirmation on the
26 July
who was attested by me
whope
attested at the
had & explain
Sh. Tulsi Ram
Sh. Adam
Notary Public
Himachal Pradesh

ब्यान हल्फी

मैं देवी राम उम्र 80 साल पुत्र श्री गोकल निवासी गांव बन्दला डाकघर सेरीकोटी तहसील निहरी जिला मण्डी हि0प्र0 का स्थाई निवासी हूं। मैं यह निम्न हल्फन ब्यान करता हूं:-

प्रस्तावित सड़क पर निर्माण कार्य क्षेत्र के स्थानीय अज्ञात लोगों द्वारा अनजाने में किया गया है। क्योंकि सड़क संरेखण में भूमि की स्थिति स्पष्ट नहीं थी क्योंकि कुछ भूमि निजी है और कुछ गैर मुमकिन गोहर है इसके हिस्से पर आम रास्ता जो कि 1980 से पहले का बना हुआ था। पारंपरिक पुराना रास्ता व खच्चर पथ हुआ करता था, जिसे लोग लंबे समय से आवगमन के लिए उपयोग कर रहे थे। तदनुसार, बरसात के मौसम में रास्ते की स्थिति खराब हो जाती थी, जिससे लोगों का आवागमन प्रभावित होता था। इन परिस्थितियों के चलते स्थानीय ग्रामीणों ने अपने आवागमन को सुगम बनाने के लिए रास्ते को चौड़ा और सुधारना शुरू कर दिया। लेकिन अब धारली से बलग सड़क के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग के सक्षम प्राधिकारी से प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के बाद प्रस्तावित सड़क को नियमित करने के लिए, वन डायवर्जन मामले को संसाधित किया गया ताकि खसरा नम्बर की भूमि का उचित सीमांकन करने के बाद राजस्व मुहाल धारली व बलग की जांच में पाया गया कि यह सरकारी भूमि/वन भूमि की श्रेणी में आती है, जिसका दर्जा चरागाह दरख्तान, गैर मुमकिन गोहर, चरागाह बिला दरख्तान है। वन भूमि में कुल उल्लंघन 0.6840 हेक्टेयर पाया गया और शेष प्रस्तावित सड़क में वन भूमि में कोई उल्लंघन नहीं है। चूंकि एफसीए, 1980 का उल्लंघन क्षेत्र के अज्ञात लोगों द्वारा अनजाने में किया गया था, इसलिए अनुरोध है कि (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत उपरोक्त वन भूमि के डायवर्जन के लिए मामले की कार्यवाई की जाए।



ब्यानकर्ता

मैं उपरोक्त हल्फीया ब्यान करता हूं कि उपरोक्त कथन मेरे ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सत्य है, इस सम्बन्ध में मैंने कोई भी जानकारी गलत नहीं दी है।

918704456155

दिनांक 26.07.2024

ATTESTED
K. Chhabra
Notary Public
under Nagal (H.P.)

Devi Ram
Gokal
Notary Public

26/7/2024
Devi Ram

IDENTIFIED
Sh Deep Singh
Kesar Singh



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Himachal Pradesh

₹20

e-Stamp

Certificate No.	: IN-HP20487046809769W
Certificate Issued Date	: 26-Jul-2024 11:49 AM
Account Reference	: SELFPRI (PU)/ hp-self/ SUNDER NAGAR/ HP-MN
Unique Doc. Reference	: SUBIN-HPHP-SELF36313967485524W
Purchased by	: KARAN-KING
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: STAMP DUTY TO BE SUBMITTED REGARDING ROAD AFFIDAVIT
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: MANI RAM
Second Party	: NOT APPLICABLE
Stamp Duty Paid By	: MANI RAM
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 20 (Twenty only)

₹20₹20₹20₹20



SELF PRINTED CERTIFICATE TO BE VERIFIED BY THE RECIPIENT AT WWW.SHCILESTAMP.COM

IN-HP20487046809769W

Please write or type below this line



मनीराम

ATTESTED
K.K. Chandhary
Notary Public
Sunder Nagar (H.P.)

Statutory Sign

who wa
who de

Sh. Mani Ram


ATTESTED

91

ब्यान हल्फी

मैं मनी राम उम्र 80 साल पुत्र श्री जियनू राम निवासी गांव बन्दला डाकघर सेरीकोटी तहसील निहरी जिला मण्डी हि0प्र0 का स्थाई निवासी हूं। मैं यह निम्न हल्फन ब्यान करता हूं:-

प्रस्तावित सड़क पर निर्माण कार्य क्षेत्र के स्थानीय अज्ञात लोगों द्वारा अनजाने में किया गया है। क्योंकि सड़क संरेखण में भूमि की स्थिति स्पष्ट नहीं थी क्योंकि कुछ भूमि निजी है और कुछ गैर मुमकिन गोहर है इसके हिस्से पर आम रास्ता जो कि 1980 से पहले का बना हुआ था। पारंपरिक पुराना रास्ता व खच्चर पथ हुआ करता था, जिसे लोग लंबे समय से आवागमन के लिए उपयोग कर रहे थे। तदनुसार, बरसात के मौसम में रास्ते की स्थिति खराब हो जाती थी, जिससे लोगों का आवागमन प्रभावित होता था। इन परिस्थितियों के चलते स्थानीय ग्रामीणों ने अपने आवागमन को सुगम बनाने के लिए रास्ते को चौड़ा और सुधारना शुरू कर दिया। लेकिन अब धारली से बलग सड़क के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग के सक्षम प्राधिकारी से प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के बाद प्रस्तावित सड़क को नियमित करने के लिए, वन डायवर्जन मामले को संसाधित किया गया ताकि खसरा नम्बर की भूमि का उचित सीमांकन करने के बाद राजस्व मुहाल धारली व बलग की जांच में पाया गया कि यह सरकारी भूमि/वन भूमि की श्रेणी में आती है, जिसका दर्जा चरागाह दरख्तान, गैर मुमकिन गोहर, चरागाह बिला दरख्तान है। वन भूमि में कुल उल्लंघन 0.6840 हेक्टेयर पाया गया और शेष प्रस्तावित सड़क में वन भूमि में कोई उल्लंघन नहीं है। चूंकि एफसीए, 1980 का उल्लंघन क्षेत्र के अज्ञात लोगों द्वारा अनजाने में किया गया था, इसलिए अनुरोध है कि (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत उपरोक्त वन भूमि के डायवर्जन के लिए मामले की कार्यवाई की जाए।



मनीराम

ब्यानकर्ता

मैं उपरोक्त हल्फीया ब्यान करता हूं कि उपरोक्त कथन मेरे ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सत्य है, इस सम्बन्ध में मैंने कोई भी जानकारी गलत नहीं दी है।

908996973420

मनीराम

ब्यानकर्ता

दिनांक 26.07.2024

26th July
Sh. Mani Ram
Sh. Jiyun Ram
Sh. Jiyun Ram
मनीराम

ATTESTED
KK Chhabra
Notary Public
Himachal Pradesh

IDENTIFIED
Sh. Deep Singh
Sh. Mani Ram
Sh. Jiyun Ram
SHR HB



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Himachal Pradesh

₹20

e-Stamp

₹20₹20₹20₹20

Certificate No.	: IN-HP20490020811261W
Certificate Issued Date	: 26-Jul-2024 11:58 AM
Account Reference	: SELFPRINT (PU)/ hp-self/ SUNDER NAGAR/ HP-MN
Unique Doc. Reference	: SUBIN-HPHP-SELF36319397512488W
Purchased by	: KARAN KING
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: STAMP DUTY TO BE SUBMITTED REGARDING ROAD AFFIDAVIT
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: PADAM DEV
Second Party	: NOT APPLICABLE
Stamp Duty Paid By	: PADAM DEV.
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 20 (Twenty only)



SELF PRINTED CERTIFICATE TO BE VERIFIED BY THE RECIPIENT AT WWW.SHCILESTAMP.COM

IN-HP20490020811261W

Please write or type below this line



ATTESTED
K. K. Chhabra
Notary Public
Sunder Nagar



ब्यान हल्फी

मैं पदम देव उम्र 75 साल पुत्र श्री गंगू निवासी गांव समैला डाकघर सेरीकोटी तहसील निहरी जिला मण्डी हि0प्र0 का स्थाई निवासी हूं। मैं यह निम्न हल्फन ब्यान करता हूं:-

प्रस्तावित सड़क पर निर्माण कार्य क्षेत्र के स्थानीय अज्ञात लोगों द्वारा अनजाने में किया गया है। क्योंकि सड़क संरेखण में भूमि की स्थिति स्पष्ट नहीं थी क्योंकि कुछ भूमि निजी है और कुछ गैर मुमकिन गोहर है इसके हिस्से पर आम रास्ता जो कि 1980 से पहले का बना हुआ था। पारंपरिक पुराना रास्ता व खच्चर पथ हुआ करता था, जिसे लोग लंबे समय से आवगमन के लिए उपयोग कर रहे थे। तदनुसार, बरसात के मौसम में रास्ते की स्थिति खराब हो जाती थी, जिससे लोगों का आवागमन प्रभावित होता था। इन परिस्थितियों के चलते स्थानीय ग्रामीणों ने अपने आवागमन को सुगम बनाने के लिए रास्ते को चौड़ा और सुधारना शुरू कर दिया। लेकिन अब धारली से बलग सड़क के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग के सक्षम प्राधिकारी से प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के बाद प्रस्तावित सड़क को नियमित करने के लिए, वन डायवर्जन मामले को संसाधित किया गया ताकि खसरा नम्बर की भूमि का उचित सीमांकन करने के बाद राजस्व मुहाल धारली व वलग की जांच में पाया गया कि यह सरकारी भूमि/वन भूमि की श्रेणी में आती है, जिसका दर्जा चरागाह दरख्तान, गैर मुमकिन गोहर, चरागाह बिला दरख्तान है। वन भूमि में कुल उल्लंघन 0.6840 हेक्टेयर पाया गया और शेष प्रस्तावित सड़क में वन भूमि में कोई उल्लंघन नहीं है। चूंकि एफसीए, 1980 का उल्लंघन क्षेत्र के अज्ञात लोगों द्वारा अनजाने में किया गया था, इसलिए अनुरोध है कि (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत उपरोक्त वन भूमि के डायवर्जन के लिए मामले की कार्यवाई की जाए।



[Handwritten Signature]

ब्यानकर्ता

मैं उपरोक्त हल्फीया ब्यान करता हूं कि उपरोक्त कथन मेरे ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सत्य है, इस सम्बन्ध में मैंने कोई भी जानकारी गलत नहीं दी है।

[Handwritten Signature]

25-7861315329
ब्यानकर्ता

दिनांक 26.07.2024

[Handwritten Signatures]
sh Deep Sh
sh Kesav
sh Bander
sh Senik
sh SHH HX

2024 20th July
SHH
sh Padam Dev
sh Sh Gargu

NOTARIES
Notary Public
Under Section 8 of the